



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10092025-266064
CG-MH-E-10092025-266064

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3994]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947

No. 3994]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 10 सितम्बर, 2025

का.आ. 4109(अ).— जबकि, भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 903(ई), दिनांक 20 फरवरी, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए में प्रकाशित किया गया था, द्वारा केंद्र सरकार ने विशेष रेलवे परियोजना, गुजरात राज्य के जिला कच्छ में विशेष रेलवे परियोजना, सामाखियाली गांधीधाम चौगुना परियोजना (53.00 किमी) आरओबी-3, को भूमि अधिग्रहण परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

और, जबकि, उक्त अधिसूचना का सार दैनिक स्थानीय समाचार पत्र “कच्छ मित्र” (गुजराती), “यंग लीडर (हिंदी) & “टाइम्स ऑफ इंडिया” (अंग्रेजी), 21 अगस्त, 2025 में उक्त अधिनियम की धारा 20 ए की उपधारा (4) के तहत प्रकाशित किया गया था, और जबकि, आपत्तियां प्राप्त हो गई हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दी गई हैं;

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (एक) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उप-धारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि उपरोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण की जाएगी;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20 ई की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार अब यह घोषणा करती है कि आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि सभी बंधनों से मुक्त पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में होगी।

अनुसूची

कच्छ जिले में सामाखियाली गांधीधाम चौगुना परियोजना (53.00 किमी) आरओबी-3, प्रदान करने के लिए जोड़ना को भूमि अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

गाँव का नाम: मीठी रोहर तालुका: गांधीधाम जिले का नाम: कच्छ

Sr. No.	सर्वे नं.	भूमि का प्रकार	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्र (in Sqm.)	संरक्षक	टिप्पणी
1	489/4	गैर-कृषि	0-09-71	शिवानी एंटरप्राइजेज कंपनी अंकित प्रवीण चंद्र चंदन के लिए	
2	489/3 paki	गैर-कृषि	0-33-84	आनंद स्वरूप छोटालाल	
3	301/1	गैर-कृषि	0-61-39	मोहनलाल रामअवतार गोयल, संतोषभाई रामअवतार गोयल, रोहितभाई मोरारजी शाह, राजेंद्र मोहनलाल शाह	305, के साथ 301/1 एकत्रीकरण
4	306/1 पाएकी	कृषि	0-99-96	लक्ष्मीनारायण मंदिर	
5	306/2 पाएकी	गैर-कृषि	0-92-67	गोपाल रमेशचंद्र अग्रवाल	306/3 के साथ 306/2 एकत्रीकरण
6	306/4	गैर-कृषि	0-32-37	किशोरभाई वालजीभाई भानुशाली वसंतभाई वलजीभाई भानुशाली	
7	306/5	गैर-कृषि	0-76-30	किशोरभाई वालजीभाई भानुशाली वसंतभाई वलजीभाई भानुशाली	
8	306/6	कृषि	0-42-98	लक्ष्मीनारायण मंदिर	
9	308/2	गैर-कृषि	1-02-75	मोहनभाई, नारणभाई, हरेशभाई, पुनम नवलकिशोर भोजवानी, प्रिया नवलकिशोर भोजवानी, रवि नवलकिशोर भोजवानी	308/2 (308/2, 308/3, 308/4, के साथ 308/2 एकत्रीकरण

10	308/1 पाएकी	गैर-कृषि	1-33-96	अतुलकुमार कस्तूरीलाल अग्रवाल	
11	296/1	गैर-कृषि	1-06-87	विमलचंद मोहनलाल जैन, कमलादेवी जैन, अनिल विमलचंद जैन	
12	टैवर्स -573/ पाएकी	सरकार	1-46-28	श्री सरकार	
		कुल:	9-39-08		

[फा. सं. E. -588525-02]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण) – II

MINISTRY OF RAILWAYS**[Western Railway (Construction Organization)]****NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th September, 2025

S.O. 4109(E).— Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 903 (E), dated the 20th February, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the Purpose of execution, maintenance, and operation of the Special Railway Project, namely Samakhiali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) ROB-3, in District Kutch in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in the daily newspapers namely the “Kutch Mitra” (Gujarati), “Times Of India” (English), & “Yung Leader ” (Hindi) dated 21th August, 2025 under sub-section (4) of section 20A of the said Act, And, whereas, nil objections were received and same have been considered and disallowed by the Competent Authority and accordingly orders have been passed, And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely Samakhiali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) ROB-3, in District Kutch in the state of Gujarat.

Name of Village Mithi Rohar Taluka: Gandhidham District: Kutch

Sr. No.	Survey No.	Land Type	Area of Land to be acquired (in Sqm.)	Custodian	Remarks
1	489/4	Non-Agriculture	0-09-71	M/s. Shivani enterprise company for Ankit Pravin Chandra Chandan	
2	489/3 paki	Non-Agriculture	0-33-84	Anand Swaroop Chotalala	
3	301/1	Non-Agriculture	0-61-39	Mohanlal Ramavatar Goyal, Santosh Bhai Ramavatar Goyel, Rohit Bhai Morarji Shah, Rajendra Mohanlal Shah	305 Aggregation with 301/1)
4	306/1 paki	Agriculture	0-99-96	Laxminarayan Mandir	
5	306/2 paki	Non-Agriculture	0-92-67	Gopal Ramesh Chandra Agrawal	306/3 Aggregation with 306/2)
6	306/4	Non-Agriculture	0-32-37	Kishor Bhai Valjibhai Bhanusali Vasant Bhai Valjibhai Bhanusali	
7	306/5	Non-Agriculture	0-76-30	Kishor Bhai Valjibhai Bhanusali Vasant Bhai Valjibhai Bhanusali	
8	306/6	Agriculture	0-42-98	Laxminarayan Mandir	
9	308/2	Non-Agriculture	1-02-75	Mohan Bhai, Narayan bhai, Haresh Bhai, Punam Naval Kishor Bhojavani, Priya Naval Kishor Bhojavani, Ravi Naval Kishor Bhojavani	308/2,308/3, 308/4 Aggregation with 308/2
10	308/1 paki	Non-Agriculture	1-33-96	Atul Kumar Kasturi Lal Agrawal	
11	296/1	Non-Agriculture	1-06-87	Vimal Chand Mohanlal Jain, Kamladevi Jain, Anil Vimal Chand Jain	
12	Tavers-573/ paki	Government	1-46-28	Shri Government	
		Total Land	9-39-08		

[F. No. E. -588525-02]

S R PRASAD, Chief Project Manager (Const)–II